[लोक सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 2015 को पारित रूप में]

2015 का विधेयक संख्यांक 265–सी

[दि पेमेन्ट आफ बोनस (अमेंडमेंट) बिल, 2015 का हिन्दी अनुवाद]

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015

बोनस संदाय अधिनियम, 1965
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

1965 का 21

2. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (13) में, ''दस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''इक्कीस हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) ''तीन हजार पांच सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमश: ''सात हजार रुपए या समुचित सरकार द्वारा अनुसूचित नियोजन के लिए यथानियत न्यूनतम मजदूरी, इनमें से जो भी उच्चतर हो'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''अनुसूचित नियोजन'' शब्द का वही अर्थ होगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (छ) में उसका है।'। 1948 का 11

धारा 38 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (*1*) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(*1*) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन, नियम बना सकेगी।''

GMGIPMRND—3911LS(S3)—22.12.2015.